



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128968

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 14471/2026

रमेश चंद्र सोनकरआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रत्यर्थी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : हरि शंकर चौरसिया, प्रेम पुष्प चौरसिया

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना घूरपुर, जिला प्रयागराज में मुकदमा अपराध संख्या 401/2025, अंतर्गत धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में उसके इकबालिया बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया है; पुलिस के समक्ष अभियुक्त का इकबालिया बयान साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है; आवेदक के विरुद्ध अन्य कोई स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है। यह आगे तर्क दिया गया है कि इसी तरह की स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् संतोष देवी को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 6803/2026 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पूरक शपथ पत्र के पैराग्राफ संख्या 3 से 5 में आवेदक के आपराधिक इतिहास को भली-भांति स्पष्ट किया गया है और वह 09.11.2025 से जेल में है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् संतोष देवी को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।
6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् संतोष देवी को इस न्यायालय की एक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



समकक्षी पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त या स्थगित नहीं किया गया है, तथा आवेदक 09.11.2025 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक- रमेश चंद्र सोनकर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय आईपीसी की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद को शुरू करने, (2) आरोप विरचित करने और (3) सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



24 जून, 2026

निर्णय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"